

प्रारूप-6

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क.स.	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री भीखमचन्द सुथार संदर्भ व्यक्ति (व्या.-हिन्दी)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स.- फलोदी	जोधपुर	09-12-61	31-12-21

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता के विरुद्ध आज तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-06-7-2021

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/10908/सेवानिवृत्ति/2020-21

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
- 2-संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 3-संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्या, मा.शि.
- 4-संबंधित प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवा निवृत्ति होने वाले प्राध्यापक हिन्दी के प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे।
- 5-संबंधित कार्मिक-
- 6-अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।
- 7-निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर